न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2018

RCMS Case No. 2018/00353

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 भोजराजसिंह पुत्र शक्तिदान जाति चारण निवासी रामासनी सान्दवान हाल करणी कॉलोनी, सोजत सिटी		1 कैलाशचन्द्र पुत्र नेमाराम सांखला जाति माली निवासी बेरा मोतीसागर, सोजत सिटी 2 नगर पालिका सोजत सिटी जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सोजत 3 नगर नियोजक विभाग, जोधपुर जरिये वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर 4 इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मण्डल कार्यालय, 11, हिरण मगरी उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 90 (ए) (9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री चन्द्रप्रकाश सिंघानिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मनीष ओझा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से
4. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4

–: निर्णय :–

दिनांक: 31/12/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 90 (ए) (9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तत कर प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 129/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सोजत चक II के खसरा नम्बर 581 रकबा 0.8367 हैक्टेयर में से 2313 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमन करने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस भूमि के सम्बन्ध में सहायक

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

कलक्टर सोजत में वर्ष 2008 में वाद दर्ज हुआ था, जिसके वाद संख्या 229/2008 है, जिसकी प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.05.2011 को पारित की गई एवं वाद में अन्तिम निर्णय एवं डिक्री 29.08.2012 को पारित हुई। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें दिनांक 20.01.2016 को स्थगन आदेश पारित किया गया है। उक्त स्थगन आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान में निगरानी याचिका प्रस्तुत की, जिसमें निर्णय के फलस्वरूप राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के आदेश को स्थगित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई एवं माननीय राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 15.02.2016 को खारिज किया गया। उक्त आदेश को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उच्च न्यायालय की वृहद पीठ में चुनौती दी गई, जिसमें प्रकरण पुनः राजस्व मण्डल को प्रतिप्रेषित किाय गया। इस दरम्यान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व मण्डल से निगरानी विड्रो कर ली गई। जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.01.2016 का पुनः प्रभावी हो गया, जो मूल अपील के निस्तारण दिनांक 17.11.2017 तक प्रभावी रहा। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील दायर करवाई गई, जो विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी है। इसी प्रकार माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सोजत में भी दीवानी विविध संख्या 10/2008 गोपाराम बनाम सोहनलाल विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 30.09.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसमें उक्त कृषि भूमि को बेचान व हस्तान्तरण करने के लिए पाबन्द किया गया व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दौराने वाद भूमि क्रय की गई है, जो सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत प्रतिबन्धित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व न तो भूमि के मूल खातेदार को सुना गया एवं न ही प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। नियम 06 उपनियम 7 (ग) में विषय वस्तु पर विधिक विवाद्यक हो तो उसे सुधार किया जाना आवश्यक था एवं इससे पूर्व संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता था। विवाद की सुलह होने पर ही आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत था, जो नहीं किया गया। नियम 06 के उपनियम 3 के अनुसार प्राधिकारी अधिकारी को आवेदन की एक प्रति सेक्टर योजना के अनुरूप एवं अभिन्यास योजना क्षैत्र के अनुरूप जांच हेतु भिजवाया जाना आवश्यक था, जो नहीं भिजवाया गया। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्राप्त की जानी आवश्यक थी, जो प्राप्त नहीं की गई। नगर पालिका नियम 2000 के नियम 12 के अनुसार भू उपयोग परिवर्तन की दरे उप नियम 01 (क) के अनुसार देय थी, परन्तु उक्त राशि विधि अनुसार प्राप्त नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा आवेदन के साथ झूठा शपथ पत्र

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का गुमराह किया गया कि उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद विचाराधीन नहीं है, जबकि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपीलें विचाराधीन थी। खसरा नम्बर 581 अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसका आज दिनांक तक किसी प्रकार से कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर तहसीलदार सोजत एवं वरिष्ठ नगर नियोजक से तकनीकी राय की स्वीकृति हेतु पत्र भिजवाया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा आवासीय भू–उपयोग में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की जांच किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील विवादित भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सह खातेदारी भूमि है, क्योंकि जिस आदेश के जरिये विभाजन किया गया है, उसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश प्रभावी हैं। इस कारण उक्त निर्णय अन्तिम नहीं होने से भूमि आज भी सह खातेदारी ही मानी जाएगी तथा विधि अनुसार सह खातेदारी भूमि के प्रत्येक इंच पर सह खातेदारान का कब्जा माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का विधि विरूद्ध रूप से नियमन किया है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है। उक्त भूमि आज भी नगरपालिका सोजत के नाम ही दर्ज है, जब भूमि नगर पालिका सोजत के नाम दर्ज ही नहीं हुई, तो उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का नगर पालिका सोजत को कोई अधिकार ही नहीं था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने नियमों के परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया एवं न ही कोई सूचना प्राप्त हुई। उक्त आदेश की अपीलाण्ट को जानकारी होते ही अपीलाण्ट द्वारा रेकर्ड की प्रतियां प्राप्त कर हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो स्वीकार कराते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील आदेश से सम्बन्धित भूमि में अपीलाण्ट के किसी प्रकार के हक अधिकार निहित नहीं है। अपीलाण्ट न तो विवादित भूमि का सह खातेदार है तथा न ही उक्त भूमि अपीलाण्ट की क्रयसुदा भूमि है। इस प्रकार अपीलाण्ट किसी भी रूप में जैर अपील आदेश से प्रभावित एवं पीडित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से सिलसिलेवार कार्यवाहीयाँ की जा रही है। जैर अपील विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व वाद संख्या 229/2008 तथा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 98/2008 हेमाराम बनाम सोहनलाल न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में विचाराधीन था, जिसमें से राजस्व विविध प्रकरण दिनांक 18.03.2010 को खारिज हो चुका था तथा राजस्व मूल वाद में दिनांक 18.05.2011

अति० जिला कलेक्टर, पाली

को पक्षकारान् के राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री किया गया। उक्त डिक्री के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील दायर करवाई। चूंकि राजस्व वाद में विवादित भूमि के सम्बन्ध में मुख्य विवाद सह खातेदारान् के मध्य ही विद्यमान था, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा विपक्षी पक्षकारान् को डरा धमका कर भय उत्पन्न करने के कारण अपीलाण्ट को वाद में प्रतिवादी संयोजित किया गया था, इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट का उक्त वाद में कोई प्रयोजन नहीं था। जब भूमि के सह खातेदारान् में राजीनामा हो चुका था एवं राजीनामा के आधार पर वाद को डिक्री किया जा चुका था, इस स्थिति में विवाद अन्तिम रूप से निस्तारित हो चुका था तथा अपीलाण्ट का तो भूमि में कोई हक हिस्सा ही नहीं था। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की तथा सिलसिलेवार विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाहियाँ की। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा भी अपीलाण्ट की लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण अपील खारिज़ की है। जैर अपील आदेश जब पारित किया गया, उस समय किसी भी न्यायालय से विवादित आराजी के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया था। अपीलाण्ट का कथन है कि उन्हे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति इश्तिहार प्रचलित समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसमें निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मियाद बाहर होने से भी खारिज़ योग्य है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील दिनांक 07.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 08.06.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो आदेश पारित होने के लगभग 3 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, अपीलाण्ट के अधिवक्ता की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर देखा जाता है, तो निम्न स्थिति प्रकट होती है कि जैर अपील विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि हैं। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि का गैर कृषिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जाँच प्रकरण दर्ज किया जाकर प्रचलित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 06.12.2014 को आपत्ति इश्तिहार प्रकाशित करवाया। जिस पर निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में राजस्थान नगरीय क्षैत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयाग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 6 के तहत तहसीलदार सोजत से प्ररूप–6 में सहमति रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो तहसीलदार सोजत द्वारा जरिये पत्रांक/राजस्व/15/180 दिनांक 23.02.2015 के जरिये प्रेषित की गई। जिसमें विवादित आराजी के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होना बताते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से 40 मीटर की सड़क सीमा में आने वाली भूमि के समर्पण के पश्चात संपरिवर्तन करने की अनुशंषा की गई। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन एवं दस्तावेजात् की प्रतियां वास्ते प्लॉन स्वीकृति हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को प्रेषित की गई। नगर नियोजक द्वारा जो रिपोर्ट दिनांक 11.03.2015 को प्रेषित की गई, उसमें यह अंकित किया गया कि जिस भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन (पैट्रोल पम्प) हेतु रूपान्तरण चाहा गया है, वह सोजत के मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय भू–उपयोग हेतु आरक्षित है, जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजन (पैट्रोल पम्प) अनुज्ञेय नहीं होने के कारण तकनीकि रूप से सहमत नहीं होना जाहिर किया। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शुल्क जमा करवाया। इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा समस्त दस्तावेज पुनः वरिष्ठ नगर नियोजक को तकनीकि राय राय के साथ साथ प्लान स्वीकृत कराने का निवेदन किया। इस पर वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा दिनांक 26.03.2015 के जरिये कुल 10 शर्तो पर तकनीकि राय प्रेषित की। इसके पश्चात नगर पालिका की बैठक दिनांक 07.05.2015 को स्वीकृत प्लान अनुसार नियमन की कार्यवाही की जाकर पट्टे जारी करने के आदेश पारित किए। बैठक में लिए गए निर्णय की पालना में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 एवं तद्धीन बनाए गए नियमों एवं उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करते हुए भूमि आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन किए जाने के आदेश पारित किए गए। अपीलाण्ट के अधिवक्ता का यह उज्र रहा कि भूमि स्थानीय प्राधिकारी के नाम दर्ज किए बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में स्थानीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा

अति० जिला कलेक्टर, पाली

जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.3(50)यूडीएच/3/2012 जयपुर, दिनांक : 31.05.2012 के अध्याय 2 के नियम 7 (3)(1) में यह प्रावधित किया गया है कि "उप–नियम (1) में अनुज्ञा की मंजूरी के पश्चात् उसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जायेगी :– (i) सम्बन्धित तहसीलदार को स्थानीय प्राधिकारी के पक्ष में राजस्व अभिलेख में भूमि के नामान्तरण के लिए। तहसीलदार नामान्तरण मंजूर करेगा और उसकी एक प्रति अनुज्ञा के जारी होने की तारीख से 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को भेजेगा। यदि तहसीलदार नियत कालावधि के भीतर नामान्तरण मंजूर करने में विफल रहता है तो इससे इन नियमों के अधीन के मामलों में स्थानीय प्राधिकारी की आगे की कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होंगी। समस्त ऐसी अनुज्ञाओं की एक समेकित सूची प्रत्येक मास के 5वें दिन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मानीटरी के लिए कलक्टर को भेजी जायेगी और तहसीलदार द्वारा उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।" इन नियमों के तहत परीक्षण करने पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उज्र आधारहीन साबित होता है। अपीलाण्ट द्वारा द्वितीय यह उज्र लिया गया है कि प्रकरण में जैर विवादित आराजी को लेकर विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गए थे, जिसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि जैर अपील आदेश दिनांक 07.06.2015 को पारित किया गया है एवं इस दिनांक को जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में पट्टा सम्बन्धी आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार का व्यादेश अथवा निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं थी, जिसकी अवहेलना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया जाना परिलक्षित होता हो। अब प्रश्न यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट हस्तगत प्रकरण में किस रूप में हितबद्ध है, इसी भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष एक अपील दायर करवाई गई थी, जो अपील संख्या 69/2012 भोजराजसिंह बनाम हेमाराम वगैरा के रूप में दर्ज हुई। उक्त अपील में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.11.2017 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना तथा इस बिन्दु को इस रूप में निर्णित किया कि "प्रकरण से सम्बन्धित भूमि के राजस्व रेकर्ड का भी अवलोकन किया जाए, तो अपीलाण्ट न तो उक्त भूमि का सह–खातेदार दर्ज है तथा न ही अपीलाण्ट भोजराजसिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में हितबद्ध माना तथा जो निर्णय पारित किया, उससे अपीलाण्ट किसी भी रूप से प्रभावित नहीं था। इस स्थिति में अपीलाण्ट द्वारा इस अपील के जरिये जैर अपील आदेश से स्वयं को व्यथित होने का जो कथन किया गया है, वह तथ्यों से भिन्न एवं सत्य से परे प्रतीत होता है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित व्यक्ति अपने हितों की रक्षा हेतु अपीलीय न्यायालय में उस निर्णय को चुनौती दे सकता है, जिससे उसके हित प्रभावित हुए हों। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट ही नहीं हुआ है, जिससे अपीलाण्ट के हितों पर कुठाराघात हुआ हो। इस प्रकार अपीलाण्ट हस्तगत अपील में किसी भी रूप में हितबद्ध पक्षकार नहीं पाया जाता है तथा एक अजनबी व्यक्ति द्वारा बिना न्यायालय की अनुमति के हस्तगत अपील प्रस्तुत किया जाना साबित होता है।"

अति० जिला कलेक्टर, पाली

चूंकि उक्त प्रकरण में भी विवादित भूमि यही थी, जो प्रकरण हाजा में प्रश्नगत है, जिसमें अपीलाण्ट को हितबद्ध नहीं मानते हुए अपीलाण्ट के प्रकरण की Locus Standi नही होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की गई है। हस्तगत प्रकरण भी इससे प्रभावित होता है, तद्नुसार प्रकरण हाजा में भी अपीलाण्ट की Locus Standi नही होने के कारण अपील सारहीन पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त गुणावगुण पर भी यदि देखा जाए तो जैर अपील आदेश में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है, जो अपील को स्वीकार करने में सहायक सिद्ध होती हो।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 129/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2015 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली